

I/159791/2024

Millennium Post - 16- January-2024

# Dry Shimla, snowless cold deserts of Lahaul-Spiti are alarming signs

Spiti and Kaza—a rich treasure of Himalayan Biodiversity has no snow –a thing which the tribal population never had seen

ASHWANI SHARMA

**SHIMLA:** Cold deserts of Lahaul-Spiti that used to be under eight to nine feet of snow and facing a freezing cold are snowless this year. Shimla has already missed its winter charm—snow. While Kangra, the state's acknowledged hub of Rabi, is completely dry.

The signs are alarming even as half of January is gone. The natives of Lahaul-Spiti are turning to local deities to pray for snow while farmers in Kangra are fearing outbreak of disease in wheat and other crops because of failure of the rains.

The capital town of Shimla, which used to attract thousands of tourists between December to January is basking under bright sunshine in place of snow and icy—cold conditions. This is the second consecutive year when the British era town has not seen snow. "We can expect serious water scarcity in the summers once the residual snow in the high altitude areas goes miss-



ing. The apple crop will also get wiped-out in absence of proper chilling hours which can't happen if the snow gives as miss to the orchardists" admits Prof (Rtd) S P Bhardwaj, horticulture scientist and researcher.

What has been the most astonishing factor is that Spiti and Kaza—a rich treasure of Himalayan Biodiversity has no snow –a thing which the tribal population never had seen.

"I have memories of Spiti showing such depressing moments of climate change. We used to live through 10 to 14 feet of snow and temperature dipping down to minus

18-20 degrees. This is a wizard thing we are experiencing in our lifetimes. If it doesn't snow in the next few days, we will see a disaster-like scenario" says Tenzin, an old native of Kaza.

He says there is not even a trace of snow in 95 per cent of the residential areas of the district. After December, half of January has passed, but the glaciers have not yet received a new layer of snow. In such a situation, the concern of tribal people regarding water has also increased. People are now reaching out to Gods and Goddesses for snow. The villagers of Spiti's Losar Panchayat reached

the court of Mata Kunjam situated at a height of 14,000 feet above sea level with the complaint of snow.

"The villagers prayed collectively to Mata Kunjam for snowfall. There is already a shortage of water for irrigation and drinking water in Spiti Valley. The drinking water sources here are recharged by snowfall in winter, but due to lack of snowfall till now, people's problems have increased. People have also worshiped and prayed for snowfall in the court of Mata Kunjam" says Dolma, a woman activist. In Kangra region, the farmers are looking up to the sky for rainfall as the agriculture experts have warned that the crops may wither away soon or there could be an outbreak of diseases in wheat and other crops in the region.

Ram Krishan Chaudhary, a farmer from Fatehpur said the sowing done by the farmers in hope for rains have failed to germinate due to lack of moisture.

Himachal Pradesh Agricul-

ture University, Palampur has informed that during November 2023, the state received 12.2 mm of rainfall, which was 38 per cent less than normal, while in December, the figure reached 85 per cent. No rainfall has been received in January so far.

All 12 districts of the state recorded less than normal rainfall in December 2023 while no rainfall has been received in January this year. Similarly, there has been a prolonged dry spell in Kangra district for about 6-7 weeks. This would affect crops.

Nearly 80 percent agriculture in Himachal and Kangra district is rain dependent thus the farmers have no choice but to see the crops drying. The area has about 100 kuhls (Traditional irrigation canals) but there is no water in the channels. It's double whammy for the farmers who have witnessed monsoon causing major havoc to the crops due to torrential rains and flash floods. They lost their crops and now they suffer due to failed rains.

Rajasthan Patrika - 16- January-2024

परवन सिंचाई परियोजना

अकावद बांध से सिंचित होगी 3 जिलों की 2 लाख हेक्टेयर भूमि

# मोबाइल से चलेंगी नहरें, आठ किमी सुरंग से गुजरेगा पानी

जयप्रकाश सिंह, जगदीश  
पत्रालिया  
patrika.com

खानपुर(झालावाड़), जिले के सोजपुर गांव के पास परवन सिंचाई परियोजना के तहत निर्माणाधीन अकावद बांध से निकलने वाली नहरें मोबाइल से ऑपरेट होंगी। नहरों में कितना पानी छोड़ना है, खेतों को कितना पानी चाहिए और पानी का कितना शुल्क लगेगा, यह सब मोबाइल से ही संचालित होगा। इस बांध की नहर आठ किलोमीटर लम्बी सुरंग से होकर गुजरेगी। बांध बनने के बाद झालावाड़, कोटा और बारां जिले की दो लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन सिंचित होगी। पेयजल की समस्या भी दूर होगी। इस परियोजना के लिए



बारां जिले में निर्माणाधीन सुरंग।

पिछले 40 साल से ज्यादा समय से कवायद चल रही है, लेकिन इसे मूर्त रूप अगले साल ही मिल जाएगा। वर्ष 1982 में इस बांध के लिए सर्वे करवाया गया। बाद में फाईल ठंडे बस्ते में चली गई। वर्ष 2013 में फिर से कवायद शुरू हुई।

## यों पहुंचेगा खेतों तक पानी

■ इस परियोजना में दाईं मुख्य नहर की लंबाई 90 किलोमीटर तथा बाईं मुख्य नहर की लंबाई 52 किलोमीटर है। दोनों नहरों से पाइप लाइन बिछाई जाएगी, जो खेतों तक पानी पहुंचाएगी।  
■ प्रत्येक 25 बीघा भूमि के बीच पानी का पॉइंट होगा, जहां से किसान अपने खेत तक पानी पाइप लाइन के माध्यम से ले पाएंगे।  
■ सिंचाई कार्य अत्याधुनिक स्काडा सिस्टम से किया जाएगा। यह पूरी तरह से ऑटोमेटिक और मोबाइल ऑपरेटेड रहेगा। पूरी सिंचाई प्रणाली की निगरानी

और नियंत्रण मोबाइल एवं अन्य ऑनलाइन माध्यम से रहेगा।  
■ प्रत्येक इलाके में सिंचाई का पानी देने का अलग-अलग समय निर्धारित किया जाएगा। निर्धारित समय पर उच्च दबाव के साथ पाइप लाइनों में पानी छोड़ा जाएगा, ताकि किसानों को समय पर पूरा पानी मिल सके।  
■ इससे 1821 गांवों में पाने का पानी मिलेगा। 79 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं छबड़ा के मोतीपुरा स्थित पावर प्लांट को मिलेगा।

## मार्च तक पूरा होगा सुरंग का काम

बांध से बारां जिले की पानी पहुंचाने के लिए पहाड़ों के नीचे से नहर के लिए सुरंग बनाई जा रही है। यह करीब 8.7 किलोमीटर लम्बी यह सुरंग है, जिसका करीब पांच किलोमीटर लम्बा काम पूरा हो गया है। सुरंग खोदने के लिए चीन और अमरीका से ड्रिल मशीनें मंगवाई गई हैं। मार्च तक काम पूरा होने की उम्मीद है। सुरंग के दोनों किनारों पर जल प्रवाह नियंत्रित करने के लिए गेट भी लगाए जा रहे हैं। वर्ष 2018 में सुरंग का निर्माण शुरू हुआ था।

Hindustan - 16- January-2024

# मेट्रो निर्माण में भूजल उपयोग को एनओसी जरूरी

■ प्रभात कुमार

नई दिल्ली। दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित देशभर में मेट्रो निर्माण और परिचालन के दौरान भूजल उपयोग के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार किया है। इसके तहत मेट्रो को केंद्रीय भूजल प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में पेश एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

एनजीटी प्रमुख जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष मंत्रालय ने हाल ही में पेश अपनी

## देशभर में 13 में से सात मेट्रो ने एसओपी को अपनाया

केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को बताया है कि एसओपी को लागू करने के बारे में सभी 13 मेट्रो को नवंबर, 2023 में पत्र लिखकर उनसे जानकारी मांगी गई थी। दिसंबर, 2023 में इस बारे में दोबारा से ध्यान आकर्षित कराया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 13 में से 7 मेट्रो यानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बंगलुरु, कोच्ची, हैदराबाद, मुंबई और जयपुर ने एसओपी को लागू कर दिया है। अन्य मेट्रो की ओर से अभी जवाब नहीं मिला है।

रिपोर्ट में कहा है कि केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किया है। निर्माण व परिचालन दोनों चरण के दौरान मेट्रो को एनओसी लेना जरूरी हो सकता है। इन परिस्थितियों में जरूरी : रिपोर्ट

में यह भी बताया है कि मेट्रो के भूमिगत या एलिवेटेड खंडों के निर्माण के लिए भूजल का इस्तेमाल करने या भूमिगत खंड के निर्माण के दौरान जलस्तर मिलने पर, जिससे पंप लगाकर पानी निकालने की आवश्यकता होने पर।

इसी तरह मेट्रो के परिचालन के दौरान जैसे यात्रियों या अन्य परिचालन उद्देश्यों के लिए मेट्रो स्टेशनों पर पानी की आवश्यकता, जिसके लिए बोरवेल/ट्यूबवेल के निर्माण की आवश्यकता होने पर।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इन दोनों परिस्थितियों में मेट्रो को भूजल प्राधिकरण से एनओसी लेना जरूरी होगा। मंत्रालय ने एनजीटी के 6 अक्टूबर, 2023 के आदेश के पालन में यह रिपोर्ट पेश किया है। ट्रिब्यूनल ने हरपाल सिंह राणा की ओर से दाखिल याचिका पर विचार करते हुए इस मामले में रिपोर्ट मांगा था।